भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1925
जिसका उत्तर 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया

ईसीएलजीएस के अंतर्गत सहायता

1925. डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई की वर्ष-वार संख्या कितनी है और कोविड-19 महामारी के दौरान बैंकों से वर्ष-वार कुल कितनी सहायता राशि प्राप्त की गई है;

(ख) ईसीएलजीएस के अंतर्गत श्रेणी-वार और राज्य-वार कितने एमएसएमई को सहायता राशि प्राप्त हुई है और प्रत्येक राज्य को प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई को दिवालिया होने से बचाने में सफल रही है और यदि हां, तो लक्ष्य पूरा करने के लिए निर्धारित की गई राशि का ब्यौरा क्या है और वर्ष-वार कुल कितने एमएसएमई को दिवालिया होने से बचाया गया है; और

(घ) क्या सरकार एमएसएमई को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी से बचाने के लिए किसी और उपाय पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) मई 2020 में आत्मानिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी ताकि पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और अन्य पात्र व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के संदर्भ में अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सहायता मिल सके। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा योजना के तहत पात्र उधारकर्ताओं को दी गई ऋण सुविधा के संबंध में उन्हें 100% गारंटी दी जाती है। अर्थव्यवस्था महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित क्षेत्रों की उभरती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए योजना में कई बार संशोधन किए गए हैं। राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), योजना का संचालन करने वाली एजेंसी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, एमएसएमई को स्वीकृत गारंटीकृत ऋणों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या और ईसीएलजीएस (श्रेणी-वार आंकड़ों के साथ) के तहत ऐसे ऋणों के लिए जारी गारंटियों को क्रमशः **अनुबंध I** और **अनुबंध II** पर दर्शाया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार समूह द्वारा ईसीएलजीएस पर लिखित दिनांक 6.1.2022 की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 13.5 लाख एमएसएमई खातों को ईसीएलजीएस के कारण गैर-निष्पादित

परिसंपत्ति (एनपीए) श्रेणी में वर्गीकृत होने से बचाया था, जिनमें से लगभग 93.7% खाते सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणियों के थे।

(घ): ईसीएलजीएस के अलावा, महामारी के संदर्भ में एमएसएमई को और मदद करने के लिए कई अन्य उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत एमएसएमई को 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज दर पर 2% ब्याज सहायता प्रदान की गई है।

(ii) महामारी के विरुद्ध लड़ाई में अर्थव्यवस्था की सहायता करने के लिए आर्थिक राहत पैकेज के हिस्से के रूप में जून 2021 में सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। इसके तहत, पात्र छोटे उधारकर्ताओं को आगे उधार देने के लिए एमएफआई को उनके द्वारा प्रदान की गई धनराशि के लिए वाणिज्यिक बैंकों को 75% गारंटी कवर प्रदान की जाती है।

(iii) एमएसएमई मंत्रालय ने अधीनस्थ ऋण के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र दबावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों के प्रमोटर एमएसएमई इकाई में इक्विटी/अर्ध-इक्विटी के रूप में प्रमोटर द्वारा निवेश किए जाने के लिए अपनी हिस्सेदारी के 15% या 75 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक के अधीनस्थ ऋण का लाभ उठा सकते हैं,

"ईसीएलजीएस के अंतर्गत सहायता" के संबंध में लोक सभा का 14 मार्च, 2022 का अतारांकित प्रश्न संख्या 1925

अनुबंध-I

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को स्वीकृत गारंटीयुक्त ऋणों की संख्या और राशि और ऐसे ऋणों के लिए जारी की गई गारंटियां

वित्तीय वर्ष	**इकाई श्रेणी**	**जारी गारंटियों की संख्या**	**ऋण राशि की गारंटी (करोड़ रुपये में)**
2020-21	**सूक्ष्म**	83,34,719	60,423.05
	लघु	4,47,672	60,345.85
	मध्यम	2,57,182	35,941.62
	कुल	**90,39,573**	**1,56,710.52**
2021-22 (28.2.2022 तक)	**सूक्ष्म**	20,72,292	16,186.52
	लघु	80,194	20,630.41
	मध्यम	7,810	17,787.08
	कुल	**21,60,296**	**54,604.01**

स्रोत: राष्ट्रीय *क्रेडिट गारंटी* न्यास *कंपनी लिमिटेड*

*****

"ईसीएलजीएस के अंतर्गत सहायता" के संबंध में लोक सभा का 14 मार्च, 2022 का अतारांकित प्रश्न संख्या 1925

अनुबंध-II

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को स्वीकृत गारंटीयुक्त ऋणों की संख्या और राशि और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत ऐसे ऋणों के संबंध में जारी गारंटी

क्रमांक	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	सूक्ष्म		लघु		मध्यम		सभी एमएसएमई	
		जारी गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत ऋण राशि (करोड़ ₹ में)	जारी गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत ऋण राशि (करोड़ ₹ में)	जारी गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत ऋण राशि (करोड़ ₹ में)	जारी गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत ऋण राशि (करोड़ ₹ में)
1	अण्डमान और निकोबार	1,350	53.47	270	61.86	434	8.80	2,054	124.13
2	आंध्र प्रदेश	2,03,461	3,138.88	24,645	3,315.60	5,775	1,641.61	2,33,881	8,096.09
3	अरुणाचल प्रदेश	1,382	26.47	248	33.15	344	10.86	1,974	70.48
4	असम	5,09,612	1,416.26	5,942	786.55	26,918	527.35	5,42,472	2,730.16
5	बिहार	7,52,748	2,110.87	15,435	1,045.30	11,168	506.56	7,79,351	3,662.73
6	चंडीगढ़	4,347	204.42	1,197	282.41	638	226.73	6,182	713.56
7	छत्तीसगढ	1,75,799	1,256.44	10,310	1,482.34	4,378	949.29	1,90,487	3,688.07
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,924	66.41	637	156.33	442	164.52	3,003	387.26
9	दिल्ली	65,499	3,038.34	15,554	4,554.22	10,660	3,627.41	91,713	11,219.97
10	गोवा	9,921	186.70	1,411	256.08	202	405.11	11,534	847.89
11	गुजरात	2,83,627	5,596.12	39,087	8,145.16	18,210	6,731.03	3,40,924	20,472.31
12	हरियाणा	1,55,865	2,807.56	20,309	3,866.93	11,107	2,399.12	1,87,281	9,073.61
13	हिमाचल प्रदेश	38,913	674.58	5,609	669.02	2,312	303.00	46,834	1,646.60
14	जम्मू और कश्मीर	24,986	491.13	6,270	383.19	2,327	277.60	33,583	1,151.92
15	झारखंड	2,72,739	1,437.56	10,428	1,038.38	5,989	498.64	2,89,156	2,974.58
16	कर्नाटक	8,11,318	4,902.72	29,931	5,211.76	13,033	3,956.36	8,54,282	14,070.84
17	केरल	4,98,543	2,969.50	18,504	3,005.59	7,243	1,528.89	5,24,290	7,503.98
18	लद्दाख	683	31.26	128	9.67	10	1.02	821	41.95
19	लक्षद्वीप	363	1.80	6	0.09	-	-	369	1.89
20	मध्य प्रदेश	5,07,822	3,192.78	24,987	2,696.70	9,339	1,313.72	5,42,148	7,203.20
21	महाराष्ट्र	8,71,310	8,620.78	60,617	11,038.21	23,566	9,076.68	9,55,493	28,735.67
22	मणिपुर	8,996	51.67	444	36.64	108	13.94	9,548	102.25
23	मेघालय	9,292	55.41	283	46.34	1,579	54.51	11,154	156.26
24	मिजोरम	2,847	22.16	234	22.11	306	4.26	3,387	48.53
25	नागालैंड	7,081	37.93	160	24.00	5	1.07	7,246	63.00
26	उड़ीसा	8,88,852	2,223.44	17,249	1,676.94	9,579	827.96	9,15,680	4,728.34
27	पुदुचेरी	20,267	131.30	1,193	171.05	216	82.32	21,676	384.67
28	पंजाब	1,72,733	2,893.92	21,386	3,016.97	5,621	1,573.85	1,99,740	7,484.74
29	राजस्थान	4,71,737	5,135.21	37,844	4,827.63	10,711	2,192.65	5,20,292	12,155.49
30	सिक्किम	6,934	45.85	794	36.55	343	16.03	8,071	98.43
31	तमिलनाडु	7,71,054	8,004.50	59,089	9,193.89	17,371	6,038.90	8,47,514	23,237.29
32	तेलंगाना	87,769	2,388.83	20,348	3,510.20	8,060	2,436.16	1,16,177	8,335.19
33	त्रिपुरा	58,869	186.22	892	54.49	1,996	26.21	61,757	266.92
34	उत्तर प्रदेश	7,05,625	6,632.01	43,938	5,309.01	25,238	2,979.16	7,74,801	14,920.18
35	उत्तराखंड	59,876	905.76	5,491	994.14	3,528	571.71	68,895	2,471.61
36	पश्चिम बंगाल	19,42,867	5,671.34	26,996	4,017.76	26,236	2,755.65	19,96,099	12,444.75
	संपूर्ण	**1,04,07,011**	**76,609.60**	**5,27,866**	**80,976.26**	**2,64,992**	**53,728.68**	**1,11,99,869**	**2,11,314.54**

स्रोत: नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड